



2026:AHC:6702

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19353 वर्ष 2025

प्रमोद कुमार यादव और 126 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता गणों के अधिवक्ता:

ऋतुध्वज प्रताप साही, संकल्प नारायण

प्रतिवादी गणों के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता गणों के विद्वान अधिवक्ता श्री संकल्प नारायण की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह के साथ-साथ राज्य-प्रतिवादी गणों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता गणों के विद्वान अधिवक्ता श्री संकल्प नारायण की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह द्वारा एक कथन दिया गया है कि वर्तमान रिट याचिका को इस हद तक खारिज कर दिया जाए कि यह रिट याचिकाकर्ता संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 39, 78, 79 और 105 से संबंधित है, जिसमें इस मामले पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता संख्या 3 से 13, 39, 78, 79 और 105 को मामले पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव द्वारा निर्देश में प्रस्तुत करते हैं कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और रिट याचिका के निस्तारण के निर्देश पर आत्मनिर्भर हैं और वह कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना चाहिए, इस प्रकार पक्षकारों की सम्मति से, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय किया जा रहा है।

4. रिट याचिकाकर्ता गणों का मामला यह है कि उन्हें शुरू में विभिन्न दिनांकों पर सहायक ऑपरेटरों के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें प्रमुख ऑपरेटर के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनके अनुसार, पदोन्नति विधि के अनुसार सख्ती से दी गई थी, और उनका वेतनमान भी लागू शासकीय आदेशों के अनुसार तय किया गया था। हालांकि, लाभों के विस्तार के संबंध में, एक लेखा परीक्षण आपत्ति के रूप में एक आपत्ति उत्पन्न हुई और रिट याचिकाकर्ता गणों के अनुसार, उक्त आपत्तियों का पालन किया गया और रिट याचिकाकर्ता गणों के विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया। हालांकि, अब दिनांक 28.11.2025 और 02.12.2025 के आक्षेपित आदेशों के आधार पर, अब प्रतिलाभ और पुनर्निर्धारण करने की मांग की गई है।

5. रिट याचिकाकर्ता गणों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि आक्षेपित आदेशों को एक पल के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से, जब पूरी कार्रवाई याचिकाकर्ता गणों की पीठ के पीछे एकतरफा हो, उन्हें नोटिस में दिये बिना, यह निवेदन है कि यदि प्रतिवादी गणों द्वारा मौद्रिक लाभों की गणना करने में कोई त्रुटि होती है और पुनः निर्धारण किया जाना है, और प्रतिलाभ की जानी है, तो रिट याचिकाकर्ता गणों को नोटिस करने के बाद ही यह होना चाहिए। उनकी प्रस्तुति है कि रिट याचिकाकर्ता गणों ने कोई धोखाधड़ी, दुर्व्यपदेशन या छिपाने का काम नहीं किया है। **भगवान शुक्ल बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है;

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता गणों ने स्वयं उस संबंध में एक वचन पत्र दिया है, जिसके अनुसार कटौती की जा सकती है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुसार कि हालांकि रिट याचिकाकर्ता गणों द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उनके अनुसार, सांपत्तिक मांग के लिए रिट याचिकाकर्ता गणों के पक्ष को लेते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से उन्हें उस राशि की मात्रा के बारे में नोटिस दिया जाना चाहिए था जिससे प्रतिलाभ की मांग की जा रही है और फिर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से निर्धारण करने की मांग की जा रही है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता गणों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख को ध्यानपूर्वक देखा है।

8. तथ्य मुद्दे में नहीं हैं। यह इस मुद्दे में नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता गणों को कुछ मौद्रिक लाभों का हकदार बनाया गया था। हालांकि, प्रतिवादी गणों द्वारा किए गए एक कार्य के अनुसार, यह पता चला कि रिट याचिकाकर्ता गणों को कुछ लाभ दिए गए हैं जिनके वे हकदार नहीं थे। इस प्रकार, पुनर्निर्धारण किया गया है, और आक्षेपित आदेशों के आधार पर परिणामी प्रतिलाभ का आदेश दिया गया है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों में, एक वचनबद्ध शामिल किया गया है, जिसे यहां उद्धरित किया गया है:

"मैं यह बचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश में अन्तिम उपबंधों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर जिसका पता बाद में लगने की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जायेगा।"

9. वचनबद्ध को देखने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि रिट याचिकाकर्ता गणों ने एक वचनबद्ध दी थी कि यदि शासकीय आदेश के अनुसार राशि के भुगतान में कोई त्रुटि होती है, तो प्रतिलाभ और पुनः निर्धारण किए जाने की स्थिति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि, प्रतिवादी गणों का यह तर्क सही हो सकता है कि रिट याचिकाकर्ता गणों ने पहले ही वचनबद्ध प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन न्यायालय की अभिमत में, कम से कम उस राशि की मात्रा के संबंध में एक अवसर दिया जाना चाहिए था जिसे उस संबंध में प्रतिलाभ की मांग की जा रही है, विशेष रूप से, जब यह रिट याचिकाकर्ता गणों का मामला है कि लेखा परीक्षण आपत्ति उनके पक्ष में मिली है। **भगवान शुक्ल (उपरोक्त)** में, यह निम्नानुसार अनुसरण किया गया है:

"3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था, इस पर विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। 1991 में पूर्वव्यापी रूप से 18.12.1970 से। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ देखा गया है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उनका वेतन कम करने से पहले उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया था और विधि के अनुसार ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी पीठ पीछे आदेश दिया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्रवाई में निष्पक्ष कार्रवाई इस बात की गारंटी देती है कि ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी कर्मचारी के नागरिक परिणामों को भुगतने का प्रभाव हो, संबंधित को नोटिस दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि, ऐसा नहीं किया गया था, आदेश (जापन) दिनांक 25.7.1991/ जिसे अधिकरण से पहले आरोपित किया गया था, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सका और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में गलती कर गया। अधिकरण का आदेश अपास्त किए जाने का हकदार है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ अधिकरण के समक्ष दिनांक 25.7.1991 के आदेश (जापन) को रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता के मूल वेतन को 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।”

10. जैसा भी हो, श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता गणों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, इस प्रकार, रिट याचिका पर निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जा रहा है:

(a) सहायक रेडियो अधिकारी (कार्मिक), उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 28.11.2025 और 02.12.2025 के आक्षेपित आदेशों को कारण बताओ नोटिस के रूप में माना जाता है।

11. चूंकि रिट याचिकाकर्ता गणों ने स्वयं वर्तमान रिट याचिका दायर करते समय आक्षेपित आदेशों पर सवाल उठाया है, इसलिए यह माना जाएगा कि उन्हें विचाराधीन आदेश में आरोपों के बारे में पूरी जानकारी है।

12. रिट याचिकाकर्ता 22.01.2026 तक उक्त नोटिसों का जवाब देंगे, और प्राधिकरण 28.02.2026 तक एक आदेश पारित करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. 28.02.2026 तक रिट याचिकाकर्ता गणों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
14. वर्तमान आदेश का लाभ केवल उन आकस्मिकताओं में उपलब्ध होगा जहां रिट याचिकाकर्ता समय-सीमा का पालन करते हैं, और किसी भी चूक के मामले में, पीठ के संदर्भ के बिना स्थान रिक्त हो जाएगा।
15. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

ए. प्रजापति

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।